न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—269/2015/223 आर.टी.एक्ट (2015/00322)

1. छोटूलाल पुत्र मांगीलाल कुमावत निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र जुवारा
2. रामदेव पुत्र सुगना
3. श्रीमती अनोप देवी पत्नी रामदेव
   समस्त जाति कुमावत निवासीगण आमलीखेडा तहसील सावर जिला अजमेर।
4. रमेश पुत्र सुगना जाति कुमावत निवासी बोहरा कॉलोनी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
5. राजू पुत्र रामदेव जाति कुमावत निवासी न्यू कुमावत होटल सावररोड, केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2015 राजस्व वाद संख्या (180/2014).

उपस्थितः—

1. श्री एस0पी0औझा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—19.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 180/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादी/अपीलांट व अन्य रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण अपीलांट व अन्य रेस्पोडेंट को तलब किया गया दिनांक 8.10.2014 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 की ओर से पॉवर पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की तलबी हेतु पत्रावली नियत रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए वाद को डिक्री किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 180/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2015 जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पो० सं० 2 लगायत 5 को बिना सुनवाई व नोटिस दिये वाद को डिक्री करने में कानूनी भूल की है। इसलिये उनका निर्णय प्राकृतिक न्याय व सहज सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष दिनांक 10.04.2015 के पश्चात आगामी पेशी दिनांक 10.06.2015 नियत की गयी लेकिन अचानक दिनांक 25.05.2015 को ही उक्त प्रकरण लोक अदालत में नियत करते हुये उसी दिन निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो अधिनस्थ न्यायालय की प्रोसिंडिंग से भी स्पष्ट है। इसलिये भी निर्णय निरस्त योग्य है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना वकालत नामा प्रस्तुत कर दिया था तथा उक्त वाद वास्ते प्रतिवादी तलबी व अग्रिम कार्यवाही में नियत था तत्पश्चात जवाब दावा आता फिर तनकीयात कायम होती तपश्चात साक्ष्य प्रस्तुत होने के पश्चात ही वाद का निर्णय किया जा सकता था लेकिन उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने विधिक प्रक्रिया को अनुसरण किये बगैर दावा डिक्री किया है। रामचन्द्र ने जो वाद प्रस्तुत किया पुत्र जुवारा के आधार पर दर्ज किया गया जबकि उसको गोद पुत्र जुवारा के आधार पर दावा डिक्री किया गया जबकि राजस्व रिकार्ड में गोद पुत्र जुवारा ही दर्ज है लेकिन कहीं पर तो वह गोद पुत्र जुवारा बनाकर वाद डिक्री करवा रहा है कही पर रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल बनकर वाद डिक्री करवा रहा है। क्योंकि इसी दिन एक अन्य वाद रामचन्द्र बनाम सुगना वाद संख्या 127/2014 जो भी उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में विचाराधीन था उसको भी कैम्प कोर्ट में नियत करवाकर दिनांक 25.5.2015 को ही रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल के आधार पर दावा डिक्री करवाया है जिसकी अपील भी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इस प्रकार एक ही दिन में दिनांक 25.5.2015 को अलग अलग पिता की वल्दीयत अलग–अलग नाम से करवाकर वाद डिक्री कराए है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 180/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2015 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि विवादित आराजीयात वाकै मौजे जंगल आमली तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। विवादित आराजीयात वादी के कब्जे काश्त, स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। राजस्व रिकार्ड में आराजीयात वादी के नाम पर बतौर खातेदार काश्तकार की हैसियत से दर्ज है। राजस्व लगान आराजीयात का वादी ही अदा करता है। वादी ही आराजीयात का एक मात्र मालिक व काबिज है। प्रतिवादीगण का उपरोक्त आराजीयात से किसी प्रकार का वास्ता व सरोकार नहीं है। लेकिन प्रतिवादीगण वादी की आराजीयात पर कब्जा करके बेदखल करने पर कटिबद्ध है। प्रतिवादीगण दिनांक 21.9.2014 को वादी आराजीयात पर आए तथा कहा कि आराजीयात में खडी फसल को हम काटेंगे तथा कहा कि आराजीयात हमारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त अवैध कृत्य नहीं करने बाबत निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण वादी से झगडा तथा मारने पीटने को उतारू हो गए। अतः वाद पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादी/अपीलांट व अन्य रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादी का वाद दिनांक 25.5.2015 को डिक्री किया गया। उक्त निर्णय से

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में दिनांक 25.5.2015 को नियत किया गया तथा उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिए प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

हमारे द्वारा जब पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह तथ्य दृष्टिगत हुए कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के अभिभाषक ने दिनांक 8.10.2014 को उनकी ओर से वकालतनामा प्रस्तुत कर रखा है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। इससे यह स्थिति स्पष्ट है कि अपीलांट को उक्त प्रकरण की भली भांति जानकारी थी व प्रकरण को जब लोक अदालत कोर्ट कैम्प में नियत किया गया तब भी अपीलांट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए व इस स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया के एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पर लगाए गए आक्षेप संतोषजनक नहीं पाए जाते है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2068–2071 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 339, 340, 341, 342, 343, 345, 348, 349, 350, 3089/339 कुल किता 10 कुल रकबा 1.52 वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 रामचन्द्र मुतबन्ना जुवारा कौमा कुमावत साकिन देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध बयान जमनालाल पुत्र रंगलाल कौम गुर्जर, महादेव पुत्र उगमा मीना व दयाल वल्द गंगाराम जाति गुर्जर इन सब के बयानों के अनुसार भी उक्त आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम दर्ज है व उक्त आराजीयात पर रेस्पोडेंट संख्या 1/रामचन्द्र ही काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन दस्तावेजात का भली भांति अवलोकन किए जाने के पश्चात ही प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। जिसमें हाजा न्यायालय द्वारा भी यही पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं हुई है। उनके द्वारा प्रकरण में न्यायसंगत निर्णय पारित किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 180/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2015 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुने इजलास सुनाया गया।

19/05/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।

ब इजलाश:–रामचन्द्र, आर.ए.एस.

छोटूलाल पुत्र मांगीलाल कुमावत निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

बनाम

रामचन्द्र पुत्र जुवारा जाति कुमावत निवासी आमलीखेडा तहसील सावर जिला अजमेर व अन्य।

(अपील संख्या 269/2015 ब अदालत उपखण्ड अधिकारी केकडी मुबर्खे 25 माह 05 सन् 2015 प्रकरण संख्या 180/2014 बउनवानी रामचन्द्र बनाम रामदेव वगैरह)

वाद अन्तर्गत धारा 188, राज0 काश्त0 अधि.

यह अपील ब तारीख 19 माह 05 सन् 2025 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिर श्री एस0पी0औझा अभिभाषक अपीलांट,श्री श्री शिवप्रकाश चौधरी,अभिभाषक रेस्पो संख्या 1, रेस्पो संख्या 02 से 05 अनुपस्थित,समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं कि:–अपील अपीलांटस खारीज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 180/2014 पारित निणर्य व डिक्री दिनांक 25.05.2015 को यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक –. रूपये– –. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का– – अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 19 माह 05 सन् 2025 को जारी किया गया।

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	–		1.स्टाम्प वकालतनामा	–	
2.स्टाम्प वकालतनामा	–		2.स्टाम्प अर्जी	–	
3.इजराय हुक्मनामा	–		3.इजराय हुक्मनामा	–	
4.वकील फीस बाबत्	–		4.महनताना वकील	–	
मीजान	–		मीजान	–	

नोट–इस खर्च के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये

Scanned with CamScanner